

प्रेषक,

मनिराम सिंह
संयुक्त सचिव
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
30प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : 01 सितम्बर, 2017

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 में दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना (डे-एन0यू0एल0एम0) के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-जी-24011/52/2017-यू0पी0ए0-1(ईएफएस:19028 दिनांक 25.05.2017 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-665/10/30/76/एक/2017-18, दिनांक 30.05.2017 एवं पत्र संख्या-1604/16/76/एक/2017-18, दिनांक 28.07.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना (डे-एन0यू0एल0एम0) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश व राज्यांश की कुल धनराशि ₹0 486425677.00 (₹0 अड़तालिस करोड़ चौसठ लाख पच्चीस हजार छः सौ सतहत्तर मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.05.2017 द्वारा लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
2. उक्त धनराशि का व्यय योजना के घटक/उपघटक हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में धनावंटन 60:40 (केन्द्रांश व राज्यांश) के अनुपात में किया जायेगा।
3. राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0 (सूडा) नोडल एजेंसी, व्यय/धनराशि जारी करने के पूर्व आश्वस्त हो लेगी कि योजना में भारत सरकार से समन्वय कर केन्द्रांश का आवंटन (एलोकेशन) प्राप्त हो गया है एवं योजना के अद्यावधिक संशोधनों/परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में सदुपयोग व योजना की अद्यावधिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही क्रियान्वयन गुणवत्ता पूर्ण पारदर्शी ढंग से नोडल एजेंसी/सूडा द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
4. उक्त अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा। अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि को जीएफआर-2005 में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत ब्याज सहित भारत सरकार को वापस करना होगा।
5. उक्त धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत उपघटकों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं योजना के दिशा-निर्देशों का समुचित अनुपालन करते हुये तदुसार मिशन डायरेक्टर के रूप में सूडा द्वारा सूडा के माध्यम से नियमानुसार किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रगति रिपोर्ट समय से भारत सरकार को भेजा जायेगा।
6. सूडा/इडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के सुसंगत प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.....2

7. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
8. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर उपलब्ध करा दी जाय।
9. इस धनराशि का यथासमय/यथानिर्देश उपयोग के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
10. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0 लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेख से अवश्य करायेंगे।
11. स्वीकृति की जा रही धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी दिनांक 31.03.2018 तक व्यय हो सके।
2. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2230-श्रम तथा रोजगार-02-रोजगार सेवार्थ-101-रोजगार सेवार्थ-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-985/दस-2017, दिनांक 01 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-108/2017/804(1)/69-1-17-14(100)/2014, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदार), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-11।
6. नियोजन अनुभाग-1/4।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक/ कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,


(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।